प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिंला भ्र.नि.ब्यू.जयपुर नगर–प्रथम जयपुर, थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं.................... 48/22 दिनांक ....16/2/22....,

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधित) अधि0 2018 धारायें 7, 7–ए,
(2) अधिनियम...........भा0द0स0 धारायें सपठित 120–बी
(3) अधिनियम........................ धारायें......................................
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या...................343.........समय..........6:00 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 14.02.2022, समय 2.40 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 10.2.2022

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब उत्तर पश्चिम 7 किलोमीटर ए.सी.बी., मुख्यालय जयपुर से
(ब) पता – ओर्बिट मॉल के पास मेट्रो स्टेशन के सामने सिविल लाईन जयपुर।
....बीट संख्या ....जरायमदेही सं...................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना ....जिला........

6.– परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– श्री फूल सिंह मीणा
(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).–पासपोर्ट संख्या..........................जारी होने की तिथि.....................जारी होने की जगह.
(द).–व्यवसाय :–

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
1– श्री इकराम खान पुत्र श्री सुभान खान जाति पठान मुसलमान उम्र 47 वर्ष निवासी बी–56, नटराज नगर इमलीवाला फाटक, लालकोठी जयपुर हाल खान सर्विस सेन्टर दुकान नं. 52, फस्ट फ्लोर, ईमित्र कार्य ऑर्बिट मॉल जयपुर एवं अन्य।

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....
9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–
10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य ....10,000/–रूपयें
11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..
12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 10.2.2022 को परिवादी श्री फूल सिंह मीणा पुत्र श्री गंगा सहाय मीणा निवासी 184, तरूछायां नगर जयपुर पुलिस थाना सांगानेर जयपुर ने श्री आलोक चन्द्र शर्मा अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक श्रवण कुमार को निर्देशित किया। परिवादी फूल सिंह मीणा ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि "मेरे पुत्र नितिन मीणा ने पासपोर्ट कार्यालय में दिनांक 21.07.2019 करे जन्म तिथि त्रुटी को सुधारकर 07.10.1995 अंकित कर नया पासपोर्ट जारी करने हेतु आवेदन किया था। लेकिन लगभग 2 वर्ष 6 माह व्यतीत होने के उपरांत भी जारी नही किया। मेरे पुत्र और मेरे द्वारा क्षैत्रीय कार्यालय पासपोर्ट ऑफिस लगभग

25 बांर Appointment लेकर कागजो की पूर्ति कराई गई। क्षैत्रीय कार्यालय पासपोर्ट जयपुर के द्वारा विभिन्न पत्राचार कर जन्म प्रमाण पत्र को सत्यापित कर लिया जैसे रजिस्ट्रार नगर निगम, अलवर, जिला सॉख्यिकी अधिकारी अलवर, अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं संयुक्त निदेशक (जीवनॉक) जयपुर एवं कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलो से भी जन्म प्रमाण पत्र सत्यापित कर लिया गया। इस तरह समस्त कागजात पूर्ण हो गये फिर भी पासपोर्ट जारी न होने के उपरान्त मेरे पुत्र ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर में एक रिट पिटिशन CW/4104/2020 Nitin Meena V/S VUI दायर की जो केस में निर्णय सुनवाई न होने के कारण नही हो पाया। मेरे पुत्र ने पासपोर्ट न बनने की शिकायत माननीय केबिनेट मंत्री जयशंकर विदेश मंत्री एवं विदेश मंत्रालय में स्पीड पोस्ट व ईमेल के माध्यम से की उसके उत्तर में पासपोर्ट कार्यालय जयपुर को शीघ्र पासपोर्ट जारी करने के निर्देश दिये गये। लेकिन कोई सुनवाई नही की गई। विदेश मंत्रालय नई दिल्ली को दिनांक 10.1.2022 को शिकायत की गई इंसके एवज में क्षैत्रीय पासपोर्ट अधिकारी Neetu M Bhagotia द्वारा Email पर 20.01.2022 को पासपोर्ट कार्यालय मिलने के लिये बुलाया और उनके ऑफिस के Suprintendant व Mr. G.S.Rawat उपस्थित थे मैंने अपनी आवश्यकता से अवगत कराया मैंने बताया कि मेरा पुत्र नितिन मीणा, IIM Ahmedabad में पढ रहा है और उसके Final Placament चल रहे है जिसमें विदेशी कम्पनी भाग लेती है। अतः पासपोर्ट की तुरन्त जरूरत है। मुझे क्षैत्रीय कार्यालय पासपोर्ट अधिकारी ने आश्वासन दिया कि आपकी फाईल पूर्ण है हम आपका पासपोर्ट जारी करने के लिए तैयार है बसर्ते कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर से केस CW/4104/2022 विड्रा आवेदन कोर्ट में लगा दें। मैने यह भी बताया कि मेरे पुत्र से कोर्ट से केस विड्रा का आवेदन तो लगा दूंगा लेकिन Covid -19 की वजह से Court अभी सुनवाई नही करेगी तो क्या आप पासपोर्ट जारी कर देंगे तो इस हेतु उन्होने हां भरी। इस आदेश के तहत मैंने अपने पुत्र को अहमदाबाद से बुलाकर दिनांक 21.01.2022 को कोर्ट में केस वापसी हेतु आवेदन लगा दिया। मैं केस विड्राल की Application जो Passport Office के Superintendant को जमा कर आया और बताया कि आपके मौखिक आदेश के अनुसार केस विड्रा का आवेदन लगा दिया है अब मेरे पुत्र का पासपोर्ट जारी कर दो तो उन्होने आवेदन रखकर अग्रिम कार्यवाही का आश्वासन दिया। पुनः मैं Appointment लेकर 31.01. 2022 को RPO जयपुर गया तो Suprintendant और Mr. G.S.Rawat ने बताया कि जब तक Court का Ordar नही आ जायेगा तब तक हम पासपोर्ट नही बना सकते आप जाओं और कोर्ट में केस लिस्ट करवाओ और Withdraw Ordar लाओ। मैंने उनसे अनुरोध किया कि मेरे पुत्र का Final Placament 8.2.2022, 11.2.2022 और 14.2.2022 को अन्तिम है यदि पासपोर्ट नही मिला तो नौकरी नही मिलेगी। तब भी नही सुनी मैं वापिस आकर कोर्ट के चक्कर लगाने लगा। कल यानि 9.2.2022 को शाम 7 बजे Ikram जो Passport Office, orbit Mall, jaipur में उसकी दुकान है और वो पासपोर्ट दस्तावेज तैयार करने का कार्य करता है का फोन आया 9950801525 से कि मुझे RPO के PA से बात हुई है आपका पासपोर्ट जारी हो जायेगा इसके ऐवज में रू. 50,000/– घूस रिश्वत देनी होगी। मैंने बोला मेरे सारे दस्तावेज पूरे हो गये है। फिर भी इतना रूपये रिश्वत कुछ कम करो तो वह रू. 45,000/– के लिए तैयार हुआ है आज यानि 10.2.2022 को मध्यान्ह 2 बजे से पूर्व उसके ऑफिस रू. 35,000/– की मांग की है शेष रू. 10,000/– पासपोर्ट जारी होने पर देने है। महोदय पासर्पोट कार्यालय में भ्रष्टाचार इस हद तक व्याप्त है कि 2 वर्ष 6 माह व्यतीत होने पर भी पासपोर्ट जारी नही किया गया और एक Student जो कि IIT Bombay और IIM Ahmedabad का पढा हुआ है। उसके जीवन से खिलवाड किया गया है। इस घोर अपराध के लिए क्षैत्रीय पासपोर्ट आफिस के जिम्मेदार अधिकारियों को सजा दिलवाना आवश्यक है। अतः मैं ये शिकायत आपको मेरे पुत्र के Behalf पर कर रहा हूँ''। एसडी/– फूल सिंह मीणा पुत्र श्री गंगा सहाय मीणा निवासी 184, तरूछायां नगर जयपुर पुलिस थाना सांगानेर जयपुर

7976741290 उक्त शिकायत पर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई। परिवादी ने दरियाफ्त पर उक्त शिकायत स्वयं द्वारा लिखना तथा प्रार्थना पत्र में अंकित सभी तथ्य सही होना तथा आरोपी से किसी प्रकार का कोई लेन–देन तथा आपसी रंजिश नही होना बताया। तत्पश्चात् परिवादी श्री फूल सिंह मीणा के साथ श्री मनु शर्मा कानि0 111 को ऑर्बिट मॉल के पास मेट्रो स्टेशन के सामने सिविल लाईन जयपुर भेजकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी इकराम खान द्वारा परिवादी श्री फूल सिंह मीणा के पुत्र श्री नितिन मीणा के पासपोर्ट में जन्म तिथि त्रुटि सुधारने के लिए 50,000/–रूपये मांगना तथा कम करने का निवेदन करने पर 45 हजार रूपये में सहमत होना तथा वार्ता में इकराम खान द्वारा 45 हजार में से 5 स्वयं के लिये तथा 40 हजार पासपोर्ट अधिकारियों को देने के लिये रिश्वत की स्पष्ट रूप से मांग करना पाया जाने पर तथा दिनांक 11.2.2022 को मोबाईल पर वार्ता कर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने पर परिवादी द्वारा 5,000/– रूपये आरोपी के मोबाईल नम्बर 9950801525 पर पेटीएम करना एवं 13.2.2022 को भी आरोपी द्वारा परिवादी से उसके मोबाईल पर रिश्वत की मांग करना पाये जाने पर दिनांक 14.2.2022 को ट्रेप कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर नगर निगम ग्रेटर जयपुर से दो स्वतन्त्र गवाह तलब किये जाने पर श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एवं श्री हेमचन्द कुमावत कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दिनांक 10.2.2022 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन के समय डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता की नियमानुसार कम्प्यूटर की सहायता से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं सीडी तैयार की गई। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर समय करीब 1.55 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान, ट्रेप पार्टी के सदस्यं सर्व श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, रामजीलाल शर्मा सहायक उप निरीक्षक पुलिस, मनोहर सिंह हैड कानि0 42, हरिसिंह कानि0 19, मनु शर्मा कानि0 111, आशीष कुमार कानि0 208 एवं श्री लालू सैनी कानि0 418 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप व अन्य सरकारी सामान के मय सरकारी वाहन एवं परिवादी की प्राईवेट कार के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर ओर्बिट मॉल के पास मेट्रो स्टेशन के सामने सिविल लाईन जयपुर पहुंचकर सरकारी वाहन को थोडी दूर खडा करवाया तथा परिवादी की कार को ओर्बिट मॉल के पास रोड के साईड में खडा करवाकर परिवादी श्री फूल सिंह मीणा को आरोपी से मोबाईल फोन पर वार्ता करने की मुनासिब हिदायत दी तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों सहित परिवादी की कार से थोडी दूरी बनाकर खडे हो गये। कुछ ही समय बाद परिवादी की कार में एक व्यक्ति आकर बैठ गया और कुछ देर बाद परिवादी की कार से बाहर निकलते ही परिवादी ने मुकर्रर ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर ट्रेप पार्टी को किये जाने पर मन् पुलिस निरीक्षक व गवाहान एवं ब्यूरो दल के सदस्य जो परिवादी की कार के आस–पास ही खडे थे, परिवादी की कार से निकल कर जाते हुए संदिग्ध व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम इकराम खान पुत्र श्री सुभान खान जाति पठान मुसलमान उम्र 47 वर्ष निवासी बी–56, नटराज नगर इमलीवाला फाटक, लालकोठी जयपुर हाल खान सर्विस सेन्टर दुकान नं. 52, फस्ट फ्लोर, ऑर्बिट मॉल ईमित्र कार्य बताया। इस पर इकराम खान से परिवादी से अभी–अभी 10 हजार रूपये लिये है वे कहां है तो इकराम खान ने अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांई जेब में रखे होना बताया। परिवादी श्री फूलसिंह मीणा को पूर्व में दिया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्ड प्राप्त किया जाकर वाईस रिकार्डर को बन्द कर अपने कब्जे में लिया गया। यहां माकूल व्यवस्था नही होने व आम रोड तथा वाहनो की अत्यधिक आवाजाही होने के कारण कार्यवाही किया जाना संभव नही होने के कारण अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय में किये जाने जा निर्णय लिया गया। अतः श्री इकराम खान के दोनो हाथो को कलाई के उपर से श्री मनोहर सिंह हैड कानि0 व श्री आशीष कुमार कानि0 से पकडवाकर कार्यालय के सरकारी वाहन में बैठाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ट्रेप पार्टी के सदस्यों

एवं श्री इकराम खान के घटना स्थल से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आया व अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रारम्भ किया गया। श्री इकराम खान से पूछा गया कि आपने परिवादी श्री फूलसिंह मीणा से किस बात के 10,000/–रूपये लिये है। जिस पर श्री इकराम खान ने बताया कि मैंने फूल सिह जी के पुत्र नितिन मीणा के पासपार्ट में जन्म तिथि त्रुटि को सुधरवाकर नया पासपोर्ट जारी करवाने की ऐवज में आज 10,000/–रूपये लिये है। इससे पहले भी मैंने फूल सिंह जी से दिनांक 10.2.2022 को 5,000/–रूपये नकद तथा दिनांक 11.2.2022 को पेटीएम के माध्यम से 5,000/–रूपये प्राप्त किये है। फूल सिंह जी के पुत्र नितिन मीणा के पासपोर्ट में जन्म तिथि त्रुटि सुधरवाने के लिए 45,000/–रूपये में सौदा तय हुआ था। उक्त राशि मेरे व पासपोर्ट अधिकारियों के लिये पहले 5–5 हजार व आज दिंनाक 14.2.2022 को बतौर रिश्वत 10,000/–रूपये लिए है। बाकि 25,000/–रूपये लेना शेष था। फूलसिंह के पुत्र एवं अन्य व्यक्तियों के पासपोर्ट बनवाने के संबंध में मेरी पासपोर्ट कार्यालय ऑर्बिट मॉल से अक्षर वार्ता होती रहती है। इस पर मौजूद परिवादी श्री फूल सिंह मीणा ने बताया कि मेरे पुत्र नितिन मीणा ने जन्म दिनांक 7 नवम्बर 1995 के स्थान पर 7 अक्टुबर 1995 सुधार हेतु 21 जुलाई 2019 आवेदन किया था। तत्पश्चात् तकरीबन 25 बार क्षैत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में इनक्वारी/विभिन्न दस्तावेज जमा करने हेतु विजिट किया। समस्त कार्यवाही पूर्ण करा दी जाने के बाद भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से त्रुटि सुधार कार्य पश्चात् पासपोर्ट जारी नही हुआ। मैने कई अन्य लोगो से पूछताछ के बाद मालूम चला कि यह लोग दलाल के माध्यम से कार्य करते है, तो मैंने इकराम खान से पासपोर्ट का काम करवाने हेतु बात की तो इकराम खान ने मुझसे स्वयं एवं पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों के लिए रिश्वत की मांग की व आपके कार्यालय के माध्यम से रिश्वत मांग के दौरान मेरे व इकराम खान के मध्य मेरे पुत्र के पासपोर्ट में जन्म तिथि त्रुटि सुधरवाकर नया पासपोर्ट बनवाने के लिये 45,000/–रूपये में सौदा तय हुआ। मैंने इकराम खान को दिंनाक 10.2.2022 को माग सत्यापन के दौरान 5,000/–रूपये नकद व दिनांक 11.2.2022 को पेटीएम के माध्यम से 5,000/–रूपये दे दिये थे तथा आज में आपकी टीम के साथ इकराम खान की दुकान ऑर्बिट मॉल के सामने पहुंचकर इकराम खान को फोन किया तो इकराम खान आकर मेरी गाडी में बैठ गया और मेरे से रिश्वत राशि की मांग की तो मैंने इन्हे अपने पास से 10,000/–रूपये निकालकर दिये जो इसने लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बांई जेब में रख लिये। इसके बाद इकराम खान ने बाकी शेष राशि 25,000/–रूपये के बारे में पूछा तो मैने कहा 15,000/–रूपयें तो आज ही पेटीएम से कर दूंगा और शेष राशि 10,000/–रूपये पुलिस वैरिफिकेशन होने के उपरान्त और पासपोर्ट जारी होने से पहले कर दूंगा। इसके बाद इकराम खान मेरी कार से उतरकर जाने लगा तो मैने आपके बताये अनुसार ईशारा कर दिया था। इसके बाद इकराम खान के मोबाईल फोन को चैक किया गया तो उसके बताये अनुसार मनोज कुमार सैन को मन्नु व मन्नु–2 नाम से मोबाईल में सेव करना बताया जिसको मोबाईल में चैक किया गया तो मोबाईल नं. 8619029931 पर वाट्सएप पर इकराम खान के मोबाईल से चैट होना एवं कॉल्स किया जाना व कॉलस् आना भी पाया गया तथा दूसरे मोबाईल नम्बर 9950753743 मन्नू–2 नाम से सेवा होनाा. पाया गया। इसके अतिरिक्त भी आरोपी इकराम खान के वाट्सएप से अन्य नम्बरों पर वाट्सएप चैट में पासपोर्ट से सम्बन्धित सूचनाएं होना पाई गई। जिनके संबंध में दौराने अनुसंधान विस्तृत तफ्तीश पृथक से की जावेगी।

इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश प्रसाद शर्मा से आरोपी श्री इकराम खान् की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी इकराम खान् की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांई जेब में 500–500 के नोट मिले। उक्त नोटो को दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/रूपये मिले। जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से किया गया तो 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये हुबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त बरामद शुदा रिश्वति राशि को स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश प्रसाद

शर्मा को सुरक्षित अपने पास रखने हेतु सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात् आरोपी इकराम खान के दोनो हाथो व शर्ट जिसमें सामने की बाई जेब से रिश्वती राशि बरामद हुई थी के पृथक–पृथक नियमानुसार धोवन के सैम्पल लिये जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के पास सुरक्षित रखी रिश्वत राशि 10,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। आरोपी इकराम खान द्वारा अपनी आवाज का नमूना मनाही किये जाने की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही पर काम में ली गई ब्रास सील की फर्द तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी से पूर्व में प्राप्त विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चला कर सुना गया तो आरोपी इकराम खान व परिवादी श्री फूलसिंह मीणा के मध्य वक्त लेन–देन के दौरान वार्ता होना पाई गई। जिसकी कम्प्यूटर की सहायता से नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं सीडी तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के अलावा परिवादी व आरोपी इकराम खान के मध्य मोबाईल पर दिनांक 11.2.2022 एवं दिनांक 13.2. 2022 को हुई परिवादी द्वारा रिकार्ड वार्ताओं की भी कम्प्यूटर की सहायता से नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं सीडी तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही एवं अब तक उजागर हुए तथ्यो से आरोपी श्री इकराम खान द्वारा स्वयं तथा पासपोर्ट अधिकारी/कर्मचारियों के लिए परिवादी श्री फूल सिह मीणा से उसके पुत्र नितिन मीणा के पासपार्ट में जन्म तिथि त्रुटि को सुधरवाकर नया पासपोर्ट जारी करवाने की ऐवज में 50,000/– रूपये की रिश्वत की मांग करना व दिनांक 10.2.2022 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 45,000/–रूपये में सौदा तय होना तथा वक्त सत्यापन परिवादी से 5,000/–रूपये नकद तथा दिनांक 11.2.2022 को पेटीएम के माध्यम से 5,000/–रूपये प्राप्त करना तथा मांग के अनुसरण में आरोपी इकराम खान द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 14.2. 2022 को परिवादी श्री फूल सिंह मीणा से बतौर रिश्वत 10,000/–रूपये प्राप्त करना पूर्णतया प्रमाणित पाया गया है तथा पासपोर्ट अधिकारियों से सम्पर्क होने के सम्बन्ध में पार्सपोर्ट अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध होना पाया गया है। जो जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120 बी भा.द.स. में कारित किया जाना पाया गया है। अतः श्री इकराम खान पुत्र श्री सुभान खान जाति पठान मुसलमान उम्र 47 वर्ष निवासी बी–56, नटराज नगर इमलीवाला फाटक, लालकोठी जयपुर हाल खान सर्विस सेन्टर दुकान नं. 52, फस्ट फ्लोर, ईमित्र कार्य ऑर्बिट मॉल जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है।

(श्रवण कुमार)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
नगर प्रथम, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री श्रवण कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त श्री इकराम खान पुत्र श्री सुभान खान निवासी बी-56, नटराज नगर इमलीवाला फाटक, लालकोठी, जयपुर हाल खान सर्विस सेन्टर दुकान नं. 52, फस्ट फ्लोर, ई-मित्र कार्य ऑर्बिट मॉल जयपुर अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 48/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

16.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कमांक 449-52 दिनांक 16.2.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

16.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर